न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 17 / 2016

उनवान

1 शारदा देवी पत्नी भंवरलाल
2. भंवरलाल पुत्र भाणु जाति रेगर निवासी ग्राम बलवन्ता तहसील व जिला अजमेर।
–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 7.9.20

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गादेरी के वंर्किग खसरा नम्बर 960 रकबा 0.48, 961 रकबा 1.95 हाल खसरा नम्बर 2070 रकबा 1.95, 2071 रकबा 0.10, 2072 रकबा 0.38 की आराजी प्रार्थीगण की क्रयशुदा है। उक्त आराजी का वंर्किग मानचित्र मौका अनुसार सही है तथा हाल नक्शा छोटा करते हुये कम कर दिया है। उक्त आराजी का रकबा वर्तमान नक्शा में सही नही है जिसे वापस दुरूस्त कर पूर्व की भाति हाल नक्शे में किया जावे।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिसटर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के वर्किग खसरा नम्बर नामान्तकरण संख्या 210 दिनांक 06.09.04 से क्रेता नौसर पत्नी मंगला भांबी के नाम दर्ज हुयी। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2070 बैचन से शारदा देवी पत्नी भंवरलाल व हाल खसरा नम्बर 2071 व 2072 बैचान से क्रेता भंवरलाल पुत्र भाणु के नाम दर्ज हुये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की क्रयशुदा खातेदारी की है। उक्त आराजी प्रार्थीगण द्वारा हाल राजस्व अभिलेख के आधार पर क्रय की है अर्थात वंर्किग मानचित्र प्रचलन के समय उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही थी। प्रार्थीगण ने भूमि क्रय करते समय हाल राजस्व मानचित्र के आधार पर ही कब्जा प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में हाल राजस्व मानचित्र में क्या त्रुटि है यह प्रार्थीगण ने स्पष्ट नही किया है। प्रार्थीगण का कथन है कि हाल राजस्व मानचित्र में आराजी मुतनाजा का रकबा छोटा कर दिया है किन्तु उनके रकबे को कौन से खसरा नम्बर में बढाया गया है यह प्रार्थीगण ने स्पष्ट नही किया है प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा के चारों ओर स्थित खसरा नम्बर का राजस्व अभिलेख भी पेश नही किया है, जिससे स्पष्ट होता हो कि वे खसरा नम्बर किस के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण को अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट अंकित करना था कि हाल राजस्व मानचित्र के कौन से खसरा नम्बर की कौन सी दिशा का रकबा कम किया है व उसका रकबा कौन से खसरा नम्बर में मिला दिया है। उक्त तथ्यों के अभाव में आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

अतः ग्राम गादेरी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:37:01 IST
Reason: SelfAttested